

-: संपरिवर्तन आदेश :-

आवेदक/प्रार्थी अरावली शिक्षा अनुसंधान संस्थान जीणमाता रोड तम्बाकुपूरा जरिये सचिव तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू. राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	अरावली शिक्षा अनुसंधान संस्थान जीणमाता रोड तम्बाकुपूरा जरिये सचिव तहसील दांतारामगढ जिला सीकर			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम तम्बाकुपूरा ग्रा0प0 रलावता तह0 दांतारामगढ जिला सीकर			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 233/211 रकबा 0.29 है0 किस्म गै0मु0 बरानी में से 0.24 है0 यानि 2400 वर्गमीटर			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	कुल रकबा	संपरिवर्तित रकबा है0	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि(वर्गमीटर)
		233/211	0.29	0.24	2400 वर्गमीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न नक्शा ट्रेस में संपरिवर्तित रकबे को बरंग सुर्ख से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन			
5	संदेय प्रीमियम की दर	5.00 रु0 प्रति वर्गमीटर			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चा.सं 917 दि0 19.10.2020 तादाद कुल 12920 / रूपये जमा			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नही			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नही			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	1 इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार सड़क/रास्ते/रेल्वे/की सीमा कि भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार नियमानुसार छोड़ते हुऐ।			

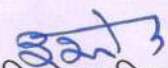
कृ.पृ.उ...2

Sakila

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ (सीकर)उप पंजीयक
दांतारामगढ, सीकर

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों की पालना की जावेगी, तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
3. यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8)raj/bhu-ru group 09/02 जयपुर dt. 20.11.04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
5. The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
6. No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
7. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
8. If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
9. प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड़ पर्याप्त रूप से लगाये जावें।
10. सड़क व रास्ते व एच.टी.लाईन नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ा गया रकबा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्णतया वर्जित रहेगा।
11. सड़क सीमा में छोड़ी गई खुले क्षेत्र की भूमि में निर्माण कार्य वर्जित रहेगा।
12. रूपान्तरित भूमि में हरे पेड़ काटे जाने 500 रु प्रति पेड़ जुर्माना राशि जमा करायी जानी होगी और एक पेड़ काटे जाने पर 3 पेड़ लगाये जाने अनिवार्य होना चाहिए।
13. सुविधा आदि की व्यवस्था हेतु रूपान्तरित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग छोड़ा जावेगा एवं शेष 60 प्रतिशत भूमि में शैक्षणिक उपयोग किया जा सकेगा।


प्राधिकृत अधिकारी

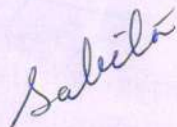
(उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़)

दिनांक:- 20 अक्टूबर, 2020

क्रमांक/भूमि रुपा./2020/राजस्व/426-30

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार दांतारामगढ़।
- 3 उप पंजीयक दांतारामगढ़।
- 4 पटवारी हल्का जीणमाता।
- 5 अरावली शिक्षा अनुसंधान संस्थान जीणमाता रोड तम्बाकुपूरा जरिये सचिव तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 6 रक्षित पत्रावली।




प्राधिकृत अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दांतारामगढ (सीकर)

प्रारूप "घ" देखिये नियम 10 (4)

क्रमांक:- भू.रू./राजस्व/2020/

दिनांक: अगस्त, 2020

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

आवेदक अरावली शिक्षा अनुसंधान संस्थान जीणमाता रोड तम्बाकुपुरा जरिये सचिव तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के आवेदन पर पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10(4) के अधीन (इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है:-

1.	आवेदक का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	अरावली शिक्षा अनुसंधान संस्थान जीणमाता रोड तम्बाकुपुरा जरिये सचिव तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3.	आदेश की संख्या और तारीख उपदर्शित करते हुये मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन	क्रमांक 1394-97 दिनांक 27.06.2008 गै0मु0 आबादी तथा 391-95 दिनांक 28.03.2008 गै0मु0 आबादी तथा 1390-93 दिनांक 27.06.2008 गै0मु0 आबादी
4.	संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन	सांस्थानिक (शैक्षणिक)
5.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम तम्बाकुपुरा ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
	(ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल(हेक्टर में)	खसरा नम्बर 233/211 रकबा 0.29 है0 में से रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0 आवासीय, ख.न. 234/211 रकबा 0.0750 है0, ख.न. 235/211 रकबा 0.1250 है0 किस्म गै0मु0 आवासीय कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.25 है0 यानि 2500 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मीटर में)	खसरा नम्बर 233/211 रकबा 0.05 है0 ख.न. 234/211 रकबा 0.0750 है0, ख.न. 235/211 रकबा 0.1250 है0 किस्म गै0मु0 आवासीय कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.25 है0 यानि 2500 है0 में से संपूर्ण 0.25 है0 यानि 2500 वर्ग मीटर
	टिप्पणी: अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है:	हां
6.	मूल संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर	5.00/-रु. प्रति वर्ग मीटर
7.	मूल आवेदन के साथ जमा कराई गयी प्रीमियम की रकम, चालान की सं0 और तारीख सहित	क्रमांक 154 दिनांक 24.06.2008 से 6250रु, चालाना क्रमांक 1279 दिनांक 14.03.2008 से 2500 रु एवं चालाना क्रमांक 153 दिनांक 24.06.2008 से 3750 रु गै0मु0 आबादी में जमा कराई गई कुल राशि 12500
8.	पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर	अन्तर राशि 41300 चालान संख्या 918/19.10.2020
9.	चालान की सं0 और तारीख सहित, संपरिवर्तन प्रभारों के अन्तर की जमा करायी गयी रकम	नहीं
10.	चालान की सं0 और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
11.	चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
12.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुए निर्माण किया जावेगा।

Salut

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ (सीकर)उप पंजीयक
दांतारामगढ, सीकर

---2---

(2)

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
- 1 इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
 - 2 संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों की पालना की जावेगी, तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
 - 3 यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
 - 4 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र क्रमांक -f-6(6) rev-6/92/4 जयपुर dt. 16-1-2012 भूमि रूपांतरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
 - 5 The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
 - 6 No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
 - 7 No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
 - 8 If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
 - 9 प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड़ पर्याप्त रूप से लगाये जावें।
 - 10 जल संरक्षण के तहत भवन निर्माण के समय वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर/सिस्टम का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
 - 11 सड़क व रास्ते व एच.टी.लाईन नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ा गया रकबा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा निर्माण कार्य पूर्णतया वर्जित रहेगा।
 - 12 सुविधा आदि की व्यवस्था हेतु रूपांतरित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग छोड़ा जावेगा एवं शेष 60 प्रतिशत भूमि में सांस्थानिक उपयोग किया जा सकेगा।

प्राधिकृत अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)

दिनांक:- 20 अगस्त, 2020

क्रमांक/भूमि रुपा./2020/राजस्व/431-35

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार दांतारामगढ़/उप पंजीयक दांतारामगढ़।
- 3 पटवारी हल्का, जीणमाता को प्रेषित कर लेख है कि आवेदक द्वारा उप पंजीयक के यहां पंजीयन करवाने के बाद ही नामान्तरण की कार्यवाही करें।
- 4 अरावली शिक्षा अनुसंधान संस्थान जीणमाता रोड तम्बाकूपुरा जरिये सचिव तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 5 तराले शाखा तहसील हाजा दांतारामगढ़।
- 6 रक्षित पत्रावली।

Salute

प्राधिकृत अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- तम्बाकूपुरा
पटवार हल्का :- जीणमाता
भू.अभि.नि. :- जीणमाता
तहसील :- दौतारामगढ़
जिला :- सीकर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2076-2079 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राव.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 4
खाता संख्या पुराना :- 4

काश्तकार का नाम:-

1. अरावलीशिक्षा अनुसंधान संस्थान जीणमाता रोड तम्बाकूपुरा सचिव श्री रामशर्मा अध्यक्ष श्री चन्द्रमहण कोषाध्यक्ष मंगलचन्द्रधोरी हिस्सा-पूर्ण खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
233/211	0.2900	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	0.2900		स्वीकृत नामांतरकरण : 208 18/01/2021	रुपान्तरकरण
234/211	0.0750	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	0.0750			
235/211	0.1250	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	0.1250			
कुल खसरे - 3	0.4900		0.4900			

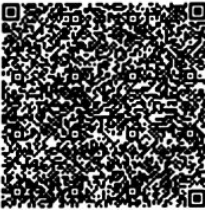
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 7-Jul-2026



Print



Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Sharma
Designation: Tehsildar
Date: 2021.01.19 12:25:19 IST
Reason: Approved

ग्राम : तम्बाकपुरा	पटवार मण्डल : जीणमाता	भू.अ.नि.कृत: जीणमाता	तहसील: दाँतारामगढ़	जिला: सीकर
नामांतरकरण का प्रकार : रुपान्तरकरण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक : 208 20/11/2020		संवत तथा दाल बाँह की क्रम संख्या: 2076-2079	
रजिस्ट्रीकरण/बंदक संख्या एवं दिनांक :	नामांतरकरण शुल्क : 20 यास्ति : 0			

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	233/211	0.2400	बारानी 2	0.96	1.) अरावलीशिक्षा अनुसंधान संस्थान जीणमाता रोड तम्बाकपुरा सचिव श्री रामशर्मा अध्यक्ष श्री चन्महण कोषाध्यक्ष मवलचन्दचोरी हिस्सा- पूर्ण खातेदार	4	1.) अरावलीशिक्षा अनुसंधान संस्थान जीणमाता रोड तम्बाकपुरा सचिव श्री रामशर्मा अध्यक्ष श्री चन्महण कोषाध्यक्ष मवलचन्दचोरी हिस्सा- पूर्ण खातेदार	233/211	0.2900	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	
		0.0500	गै.मु.आबादी								
	234/211	0.0750	गै.मु.आबासीय					234/211	0.0750	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	
	235/211	0.1250	गै.मु.आबासीय					235/211	0.1250	संस्थानिक(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)	
खाता : 4		कुल खसरे : 3		कुल क्षेत्रफल : 0.4900		कुल काश्तकार : 1					
						खाता : 4	कुल काश्तकार : 1		कुल खसरे : 3		कुल क्षेत्रफल : 0.4900

श्रीमान जी, मुताबिक संपरिवर्तन आदेश के नामाकरण दर्ज करवाकर वास्तेगायब एवं
(क) पटवारी की रिपोर्ट : khata
निस्तारण लेवासे पेडा है
15-01-2021
पटवारी जीणमाता

हस्ताक्षर
पटवारी का नाम
दिनांक

(ख) भू.अ. निरीक्षक की जांच रिपोर्ट :

जांच की मुताबिक आदेशों के अनुसार डुलत है।
18-1-21
94K जीणमाता

हस्ताक्षर
भू.अ. निरीक्षक का नाम
दिनांक

(ग) ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का आदेश :

खाता : 4	कुल खसरे : 3	कुल क्षेत्रफल : 0.4900	कुल काश्तकार : 1	खाता : 4	कुल खसरे : 3	कुल क्षेत्रफल : 0.4900	कुल काश्तकार : 1
----------	--------------	------------------------	------------------	----------	--------------	------------------------	------------------

हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम
दिनांक

तहसीलदार (भू.अ.)
दांतारामगढ़ (सीकर)